



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44884 सन् 2025

आकाश पाल

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- दिनेश कुमार, राम बदन
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बदन और राज्य-प्रतिवादियों के लिए संक्षिप्त धारक श्री शशांक सिंह को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक आकाश पाल की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपराध संख्या 341/2025, उ.प्र. गौ वध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/5B/8 के अंतर्गत, थाना-सैयदराजा, जिला-चंदौली में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 13.11.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित वाहन से 1 जीवित संतान की बरामदगी दिखाई गई है। न तो आवेदक के कब्जे से कोई गोमांस और न ही कोई अन्य अपराधकारी सामग्री बरामद की गई है। उपरोक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और जमानत पर रिहाई के मामले में न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत के लिए प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए.जी.ए. ने कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त उल्लिखित अपराध संख्या में शामिल अभियुक्त-आवेदक **आकाश पाल** को जमानत पर रिहा किया जाए, उसके द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रत्येक, समान राशि में संबंधित न्यायालय के संतोष के लिए निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और परीक्षण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं दी जाती।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, निचली अदालत उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

दीपक/